

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 134 / 2013  
संस्थान दिनांक 31.03.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़,  
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. धमा उर्फ धर्मेन्द्र पिता बुदन, आयु 19 वर्ष,
2. राकेश पिता रघुनाथ, आयु 39 वर्ष,

दोनों निवासी-ग्राम फत्यापुर,  
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 22 / 01 / 2015 को घोषित )

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 58 / 2013 अंतर्गत धारा 457 भा.दं.सं. में दिनांक 21.03.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 19.03.2013 को रात्रि 10:00 बजे फरियादी का घर ग्राम फत्यापुर में फरियादी दिनेश गेहलोत का मकान जो कि मानव निवास एवं सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के अपराध को कारित करने के लिए प्रवेश कर गृहातिचार या गृहभेदन कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 457 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि फरियादी ने दिनांक 17.11.2014 को अभियुक्तों से राजीनामा का आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) द.प्र.स. का पेश किया था लेकिन अशमनीय प्रकृति का अपराध होने के कारण उक्त आवेदन न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 19.03.2013 को रात्रि 10 बजे फरियादी दिनेश गेहलोत खाना खाकर घर के अंदर सोया हुआ था, घर में फरियादी अकेला था, तभी घर के अंदर से आवाज आई जिससे उसकी नींद अचानक खुल गई और देखा तो फरियादी घर के अंदर अभियुक्त धमा दिखा व दरवाजे के पास अभियुक्त राकेश खड़ा था, तभी फरियादी ने आवाज लगाई की क्या कर रहे हो, तो दोनों अभियुक्त भाग गये। अभियुक्त धमा एवं राकेश फरियादी के घर में चोरी की नियत से घुस गये थे, तत्पश्चात् फरियादी ने घटना गाँव के लक्ष्मण व दिलीप को बताई। पुलिस ने फरियादी दिनेश गेहलोत द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण धमा एवं राकेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 58/2013 अंतर्गत धारा 457 भा.दं.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी दिनेश गेहलोत की निशांदाही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त धमा उर्फ धर्मेन्द्र व राकेश को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 5 व 6 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये तथा पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी दिनेश व साक्षीगण लक्ष्मण, दिलीप के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय यह है कि —

क्या अभियुक्तों ने दिनांक 19.03.2013 को रात्रि 10:00 बजे फरियादी का घर ग्राम फत्यापुर में फरियादी दिनेश गेहलोत का मकान जो कि मानव निवास एवं सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी कारित करने के लिए प्रवेश कर गृहातिचार या गृहभेदन कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में फरियादी दिनेश गेहलोत (अ.सा.1) एवं प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी दिनेश गेहलोत (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि लगभग ढेड़ वर्ष पूर्व रात्रि 10 बजे वह खाना खाकर अपने घर के अंदर सोया हुआ था, घर के अंदर से आवाज आने लगी थी, तब उसकी नींद खुल गई थी, उसने उठकर देखा तो घर पर कोई भी नहीं था। दूसरे दिन प्रातः उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर की थी। प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट के ए से ए भाग पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं तथा नक्शामौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का पुलिस द्वारा बनाना भी स्वीकार किया है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने थाना अंजड़ में प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में यह लिखाया था कि घर के अंदर अभियुक्तगण खड़े थे और आवाज लगाने पर वे दोनों भाग गये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि अभियुक्तगण उसके घर के अंदर चोरी करने के आशय से घुसे थे। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 3 के कथन में उक्त बातें पुलिस को बताने से इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्तगण उसके गाँव के रहने वाले हैं और उसने अभियुक्तों से राजीनामा कर लिया है लेकिन इस सझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह रात्रि में बिजली बंद करके सोया हुआ था, इस कारण घर के अंदर घुसने वाले व्यक्तियों के चेहरे नहीं देखा पाया था।

8. प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह अ.सा.2 ने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 18/13 की विवेचना के दौरान प्रदर्शपी 2 का नक्शामौका पंचनामा बनाने, साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे फरियादी एवं साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कथन लेखबद्ध कर लिये थे।

9. राजीनामा हो जाने के कारण किसी अन्य साक्षियों के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के फरियादी ने अभियुक्तों से राजीनामा किया है और उनके विरुद्ध कोई कथन नहीं किये हैं, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी दिनेश गेहलोत के निवास स्थान में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि पृच्छन्न गृहातिचार या गृहभेदन कारित किया था।

10. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव उक्त अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 457 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा से रिहा किया गया।

11. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला—बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस  
ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र  
निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम	:-	दिलीप पिता नन्दू आयु 27 वर्ष, निवासी- ग्राम बरूफाटक, तहसील ठीकरी जिला-बड़वानी म.प्र.
गिरफ्तारी का दिनांक	:-	20.05.2012
पुलिस रिमाण्ड की अवधि	:-	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा में अवधि	:-	निरंक

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड (म०प्र०)

॥ धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ॥  
न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 29.11.2014 तक

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- सुनिल उर्फ गोलू पिता सुभाष, आयु 20 वर्ष  
निवासी- ग्राम बरूफाटक, तहसील ठीकरी  
जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 20.05.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- 29.10.2014 से निरंतर

इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में  
कुल 31 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0